Date – 21 May 2022

कन्हेरी गुफाएं

- हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कन्हेरी गुफाओं में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया।

कन्हेरी गुफाएं:

- कन्हेरी गुफाएं मुंबई के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित गुफाओं और रॉक-कट स्मारकों का एक समूह है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर स्थित हैं।
- कन्हेरी नाम प्राकृत में 'कान्हागिरी' से लिया गया है और इसका विवरण सातवाहन शासक वशिष्ठपुत्र पुलुमवी के नासिक शिलालेख में मिलता है।
- कान्हेरी का उल्लेख विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांतों में मिलता है।
- कान्हेरी का वर्णन सबसे पहले फाह्यान ने किया है, जो 399-411 ईस्वी के दौरान भारत आया था और बाद में कई अन्य यात्रियों ने इसका वर्णन किया।

उत्खनन:

- कन्हेरी गुफाओं में 110 से अधिक विभिन्न मोनोलिथ की खुदाई शामिल है और यह देश में सबसे बड़ी एकल खुदाई में से एक है।

Yojna IAS

- खुदाई का आकार और विस्तार, साथ ही कई जलाशय, शिलालेख, सबसे पुराने बांधों में से एक, एक स्तूप दफन गैलरी और एक उत्कृष्ट वर्षा जल संचयन प्रणाली, एक मठवासी और तीर्थ केंद्र के रूप में इसकी लोकप्रियता को प्रमाणित करती है।

आर्किटेक्चर:

- ये खुदाई मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान चरण के दौरान की गई थी, लेकिन इसमें महायान शैलीगत वास्तुकला के कई उदाहरणों के साथ-साथ वज्रयान आदेश के कुछ प्रिंट भी शामिल हैं।

सुरक्षा:

- यह कन्हेरी सातवाहन, त्रिकुटक, वाकाटक और सिलहारों के संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्र के धनी व्यापारियों द्वारा किए गए दान के माध्यम से विकसित हुआ।

महत्त्व:

- कन्हेरी गुफाएं हमारी प्राचीन विरासत का हिस्सा हैं क्योंकि वे विकास और हमारे अतीत का प्रमाण प्रदान करती हैं।
- कन्हेरी गुफाओं और अजंता एलोरा गुफाओं जैसे विरासत स्थलों की वास्तुकला और इंजीनियरिंग कला, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, निर्माण, धैर्य और दृढ़ता आदि के संदर्भ में उस समय के लोगों के ज्ञान को दर्शाती है।
- उस समय ऐसे कई स्मारकों को बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा था।
- इसका महत्व इस तथ्य से बढ़ जाता है कि यह एकमात्र केंद्र है जहां बौद्ध धर्म और वास्तुकला की निरंतर प्रगति को दूसरी शताब्दी ईस्वी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक एक स्थायी विरासत के रूप में देखा जाता है।

Yojna IAS

हीनयान और महायान:

हीनयान:

- वस्तुतः छोटा वाहन, जिसे परित्यक्त वाहन या दोषपूर्ण वाहन के रूप में भी जाना जाता है। यह बुद्ध की मूल शिक्षा या 'बुजुर्गों के सिद्धांत' में विश्वास करता है।
- यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और आत्म-अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- थेरवाद हीनयान संप्रदाय का एक हिस्सा है।

महायान:

- बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय बुद्ध को देवता मानता है और मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है।
- यह उत्तरी भारत और कश्मीर में उत्पन्न हुआ और वहाँ से मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैल गया।
- महायान मंत्रों में विश्वास रखता है।

- इसके मुख्य सिद्धांत सभी प्राणियों की पीड़ा से सार्वभौमिक मुक्ति की संभावना पर आधारित थे। इसलिए, इस संप्रदाय को महायान (महान वाहन) कहा जाता है।
- इसके सिद्धांत भी बुद्ध और बोधिसत्वों के 'प्रकृति के अवतार' के अस्तित्व पर आधारित हैं। यह बुद्ध में विश्वास रखने और स्वयं को उन्हें समर्पित करने के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की बात करता है।

Swadeep Kumar

देशद्रोह कानून

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को निलंबित कर दिया है और केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए के तहत कोई देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है।
- इसने देशद्रोह के आरोपों से संबंधित लंबित मुकदमों, अपीलों और कार्यवाही को भी निलंबित कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ देशद्रोह की धारा 124ए के तहत केस दर्ज हैं, वे राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

वर्तमान घटनाएं

- कोर्ट ने सरकार से इस पर और IPC पर सरकार से जवाब मांगा है. धारा 124ए के प्रावधानों की समीक्षा की भी अनुमति दी गई। हालांकि, जब तक देशद्रोह कानून की समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक न तो धारा 124ए के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और न ही इसमें जांच की जा सकती है.
- एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.जी. वोम्बटकेरे द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कानून का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'नकारात्मक प्रभाव' पड़ता है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अनुचित प्रतिबंध है, जो एक मौलिक अधिकार है।

Yojna IAS

राजद्रोह कानून:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इस कानून का मसौदा वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। इसके तहत राजद्रोह को परिभाषित किया गया था।
- इसके अनुसार- 'यदि कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा, मौखिक रूप से या लिखित रूप में या संकेतों के माध्यम से या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के लिए घृणा या अवमानना फैलाता है या उकसावे और असंतोष का कारण बनता है' उकसाता या प्रयास करता है ऐसा करने के लिए, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है।

ब्रिटिश स्थिति

- मूल रूप से भारतीय दंड संहिता, 1860 में कोई राजद्रोह की धारा नहीं थी। मैकाले के 1837 के मसौदे को वर्ष 1870 में आई.पी.सी. के साथ संशोधित किया गया था। धारा 124ए के रूप में जोड़ा गया था।
- वर्ष 1898 में संशोधन द्वारा 'असंतोष' शब्द को अधिक परिभाषित किया गया और इसमें 'विश्वासघात' और 'शत्रुता की भावना' भी शामिल थी।
- इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था।
- इसके तहत महात्मा गांधी (वर्ष 1922), लोकमान्य तिलक (वर्ष 1898) और जोगेंद्र चंद्र बोस (वर्ष 1892) जैसे नेताओं पर ब्रिटिश शासन पर उनकी टिप्पणियों के लिए राजद्रोह कानून के तहत मुकदमा चलाया गया।

वर्त्तमान स्थिति

- मूल रूप से भारतीय दंड संहिता, 1860 में कोई राजद्रोह की धारा नहीं थी। मैकाले के 1837 के मसौदे वर्ष 1870 में आई.पी.सी. के साथ सुधारा गया था। धारा 124ए के रूप में जोड़ा गया था।
- वर्ष 1898 में 'असंतोष' द्वारा संशोधित शब्द को अधिक परिभाषित किया गया और फिल्म 'विश्वास्य' और 'शत्रुता की भावना' को भी शामिल किया गया।
- प्रभावी रूप से प्रमुख रूप से कार्यरत रहने के बाद भी प्रभावी भारतीय प्रसारण के लेखन और प्रसारण के लिए उपयुक्त थे।
- स्थापत्य वायुमण्डल (वर्ष 1922), लोकमान्य तिलक (वर्ष 1898) और जोगेंद्र चंद्र बोस (वर्ष 1892) जैसे स्थापत्य पर शासन व्यवस्था पर लागू होगा।

देशद्रोह पर विधि आयोग का दृष्टिकोण

- भारत के विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, संविधान सभा ने पूर्ववर्ती अनुच्छेद 13 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में राजद्रोह को शामिल करने का विरोध किया।

Yojna IAS

- आयोग के अनुसार, लोगों को देश के प्रति अपना स्नेह अपने तरीके से दिखाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इसमें सरकारी नीतियों की कमियों को उजागर करना, रचनात्मक आलोचना या बहस भी शामिल है।
- आयोग के अनुसार, धारा 124ए केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए जहां किसी अधिनियम के पीछे की मंशा सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करना या हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करना है।
- आयोग ने आई.पी.सी. (देशद्रोह) धारा 124ए और 'राजद्रोह' शब्द को किसी अन्य उपयुक्त शब्द से प्रतिस्थापित करना।
- साथ ही, आयोग ने राजद्रोह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के खिलाफ उचित सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाने का भी आग्रह किया है।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

- वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि राजद्रोह एक औपनिवेशिक कानून है और यह स्वतंत्रता का दमन करता है।
- उनके अनुसार 'आई.पी.सी. अमेरिका की इस धारा के तहत दोषसिद्धि दर बहुत कम है और कार्यकारी एजेंसियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में आई.पी.सी. धारा 124A की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था।
- बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के 'खालिस्तान जिंदाबाद' जैसे नारे लगाना देशद्रोह नहीं है।
- उल्लेखनीय है कि आई.पी.सी. अधिनियम की धारा 124ए को हटाने या संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक पेश किए गए हैं।

देश में देशद्रोह के मामलों की स्थिति

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)-2020 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में देशद्रोह के 70 मामले दर्ज किए गए लेकिन किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया।
- वर्ष 2019 में 93 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से केवल दो को ही दोषी ठहराया गया। साल 2020 में 73 में से कोई भी केस देशद्रोह का दोषी नहीं पाया गया।
- वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा राजद्रोह के मामले मणिपुर (15) में दर्ज किए गए।

Swadeep Kumar

Yojna IAS

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य

- राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- अप्रैल 2020 में, राजस्थान सरकार ने बाघों के लिए रामगढ़ जहरीला अभयारण्य विकसित करने का प्रस्ताव भेजा था।
- जुलाई 2021 में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।
- रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य लगभग 252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1982 में राजस्थान वन्यजीव और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 के तहत अभयारण्य घोषित किया गया है।
- भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, सुस्त भालू, सुनहरा सियार, लोमड़ी आदि देखे जा सकते हैं।
- रामगढ़ विषधारी अभयारण्य चौथा टाइगर रिजर्व है। अन्य तीन बाघ अभयारण्य सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व हैं।

YojnaIAS

रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने का क्या महत्व है?

- रामगढ़ जहरीला अभयारण्य बाघों की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा, जिससे यह एक महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर बन जाएगा।
- यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए एक बफर के रूप में कार्य करेगा और बाघों के फैलाव की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार यह रणथंभौर में भीड़भाड़ की समस्या को रोकता है।
- टाइगर रिजर्व के भीतर भीमलात, और रामगढ़ महल जैसे स्थलों की उपस्थिति ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देगी। इससे स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर भी मिलेंगे।

टाइगर कॉरिडोर क्या है?

- यह बाघों के आवासों को जोड़ने वाली भूमि का एक खंड है, जो बाघों और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही के लिए मार्ग प्रदान करता है।
- भारत में 30 से अधिक प्रमुख बाघ गलियारे और कई छोटे बाघ गलियारे हैं।

क्या है टाइगर कॉरिडोर का महत्व?

- कॉरिडोर बाघों के लिए अधिक स्थान प्रदान करेगा और मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करेगा। वे भेड़ियों, लकड़बग्घा, पक्षियों, सरीसृपों आदि जैसे अन्य वन्यजीवों के आवास के रूप में भी काम करते हैं।

Swadeep Kumar

Yojna IAS